

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, खैरथल तिजारा राज0
पीवासीन अधिकारी :- सुभाष यादव आर ए एस
दावर दिनांक 07.09.2021 पर्चा डिक्री दिनांक 22.07.2024

दावा संख्या 295 / 2021

अनुवाक

1. हरदयाल सिंह पुत्र श्री रामदयाल जाति खाती निवासी ग्राम कानी (तिगाँवा) तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

:- वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री श्योनारायण सिंह उर्फ नारायण सिंह
2. जगदीश पत्नी श्योनारायण सिंह उर्फ नारायण सिंह
3. अंकिता पुत्री धर्मपाल
4. ओलाक सिंह पुत्र धर्मपाल
5. भावना पुत्री धर्मपाल
6. सीमा
7. सोनू पुत्रीयान धर्मपाल जाति राजपूत निवासीयान ग्राम धीरधोका तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
8. बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बीबीरानी जरिये शाखा प्रबंधक बीबीरानी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
9. उप पंजियक महोदय, हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
10. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार साहब कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

:- असल प्रतिवादीगण

दावा :-

इश्तकारारहक, दुरुस्ती इन्द्राज मय हुकमईतनाईदवापी
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:- पर्चा डिक्री :-


वादी की ओर से श्री भगत सिंह चौधरी एडवोकेट व प्रतिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 22.07.2024 को सुभाष यादव उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और पर्चा डिक्री दी जाती है कि :-

वादी के आराजी खं0 सं0 1153 एकबा 0.30 हे0, 1154 एकबा 0.37 हे0, 1155 एकबा 0.03 हे0, 1156 एकबा 0.14 हे0, 1157 एकबा 0.44 हे0, 1158



रकबा 0.51 हे०, खं० नं० 1150 रकबा 0.69 हे०, 1151 रकबा 0.86 हे०, वाके
ग्राम पुर तह० कोटकासिम जिला अलवर राज० एवं खं० नं० 282 रकबा 1.
18 बीघा, खं० नं० 168 रकबा 6.10 बीघा, वाके ग्राम पालपुर तह०
कोटकासिम जिला अलवर राज० में अंकित दयाराम पुत्र गोपाल को
कलमजन किया जाकर दयाराम पुत्र दोसू राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद
किया जावे। बैक रहन का अंकन यथावत रहेगा। उभयपक्ष अपना अपना
खर्चा स्वयं फरीकेन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22.07.2024 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद
हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(सुभाष यादव)

उपखण्ड अधिकारी

कोटकासिम, खैरथल तिजारा राज०